स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं0 पीटी/4/2018/एसटीजीसीजी/डीईओटीएच/आर. यू.।।। दिनांक: 12–01–2018

<u>सिटिंग नोटिस</u>

विषयः पुसपाल चौक से कांवापाल तक 5 कि. मी. सड़क निर्माण के संबंध में– श्री प्रकाश ठाकुर, सर्व आदिवासी समाज, जिला बस्तर (छत्तीसगढ) का दिनांक 08/10/2017 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है। (अभ्यावेदन की प्रतिलिपि संलग्न है)

2. सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक <u>05–02–2018</u> को <u>03.00</u> बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तद्नुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष–24601346

सेवा में,
वनमंडलाधिकारी,
जिला– बस्तर,
जगदलपुर,
(छत्तीसगढ़)

<u>प्रतिलिपिः</u>
श्री प्रकाश ठाकुर,
सर्व आदिवासी समाज, आदिवासी विश्राम गृह चित्रकोट रोड़,
जगदलपुर, जिला बस्तर (छत्तीसगढ)